**2025 का विधेयक संख्यांक 143**

[दि सेन्ट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

# केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

चौथी अनुसूची का संशोधन ।

**2.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 में, चौथी अनुसूची के अनुभाग 4 में, "अनुपूरक टिप्पण" उपशीर्षक के अधीन आने वाली सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :— 1944 का 1

| टैरिफ मद | | माल का वर्णन | इकाई | शुल्क की दर |
|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 2401 | | **अविनिर्मित तम्बाकू ; तम्बाकू उच्छिष्ट** | | |
| 2401 10 | - | तम्बाकू, जिसमें डंडी/शिरा न हों : | | |
| 2401 10 10 | --- | धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 20 | --- | धूप उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 30 | --- | धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 40 | --- | जौ तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 50 | --- | बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू, जिसमें डंडियां न हो | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 60 | --- | चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 70 | --- | सिगार और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 80 | --- | हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 10 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 | - | **तम्बाकू जो भागतः या संपूर्णतः डंडीयुक्त या झंगा हुआ :** | | |
| 2401 20 10 | --- | धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 20 | --- | धूप उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 30 | --- | धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 40 | --- | जौ तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 50 | --- | बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 60 | --- | चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 70 | --- | सिगार और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 80 | --- | हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 20 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 70% |
| 2401 30 00 | - | तम्बाकू उच्छिष्ट | कि.ग्रा. | 60% |
| 2402 | | **तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्प के सिगार, चुरूट, सिगरीला और सिगरेट :** | | |
| 2402 10 | - | तम्बाकू युक्त सिगार, चुरूट और सिगरिला : | | |

| (1) | | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2402 10 10 | --- | सिगार और चुरूट | संख्या हजार में | 25% या 5000 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 10 20 | --- | सिगरीला | संख्या हजार में | 25% या 5000 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 20 | - | **तम्बाकू युक्त सिगरेट :** | | |
| 2402 20 10 | --- | 65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न | संख्या हजार में | 2700 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 20 | --- | 65 मिलीमीटर से अधिक, किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न | संख्या हजार में | 4500 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 30 | --- | 65 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अन्तर्गत फिल्टर की लम्बाई, 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | संख्या हजार में | 3000 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 40 | --- | 65 मिलीमीटर से अधिक, किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | संख्या हजार में | 5200 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 50 | --- | 70 मिलीमीटर से अधिक, किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | संख्या हजार में | 7000 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 90 | --- | अन्य | संख्या हजार में | 11000 रुपए प्रति हजार |
| 2402 90 | - | अन्य : | | |
| 2402 90 10 | --- | तम्बाकू अनुकल्पों की सिगरेट | संख्या हजार में | 5000 रुपए प्रति हजार |

| (1) | | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2402 90 20 | --- | तम्बाकू अनुकल्पों की सिगरीला | संख्या हजार में | 14% या 5000 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 90 90 | --- | अन्य | संख्या हजार में | 14% या 5000 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2403 | | **अन्य विनिर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प ; "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू ; तम्बाकू निष्कर्ष और सत** | | |
| | - | धूम्रपान तंबाकू, चाहे उनमें से किसी भी अनुपात में तंबाकू अनुकल्प हैं या नहीं : | | |
| 2403 11 | -- | इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण में विनिर्दिष्ट जलयुक्त पाइप तंबाकू : | | |
| 2403 11 10 | --- | हुक्का और गुडाकू तम्बाकू | कि.ग्रा. | 40% |
| 2403 11 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 40% |
| 2403 19 | -- | अन्य : | | |
| 2403 19 10 | --- | पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी | कि.ग्रा. | 325% |
| | --- | बीड़ी : | | |
| 2403 19 21 | ---- | कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो | संख्या हजार में | 10% |
| 2403 19 29 | ---- | अन्य | संख्या हजार में | 10% |
| 2403 19 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 22% |
| | - | अन्य : | | |
| 2403 91 00 | -- | "समांगीकृत"/"पुनर्रचित" तम्बाकू | कि.ग्रा. | 70% |
| 2403 99 | -- | अन्य : | | |
| 2403 99 10 | --- | चबाने वाला तंबाकू | कि.ग्रा. | 100% |
| 2403 99 20 | --- | चबाने वाले तंबाकू वाली विनिर्मितियां | कि.ग्रा. | 100% |
| 2403 99 30 | --- | जर्दा सुगंधित तंबाकू | कि.ग्रा. | 100% |
| 2403 99 40 | --- | नस्वार | कि.ग्रा. | 70% |
| 2403 99 50 | --- | नस्वार वाली निर्मितियां | कि.ग्रा. | 70% |
| 2403 99 60 | --- | तंबाकू निष्कर्ष और सत | कि.ग्रा. | 70% |

| (1) | | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2403 99 70 | --- | कटा हुआ तंबाकू | कि.ग्रा. | 10% |
| 2403 99 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 125% |
| 2404 | | **उत्पाद, जिनमें तम्बाकू, पुनर्रचित तम्बाकू, निकोटीन, या तम्बाकू या निकोटीन अनुकल्प अंतर्विष्ट हैं, जो ज्वलन के बिना सूंघने के लिए आशयित है ; मानव शरीर में निकोटीन प्रवेश करने के लिए आशयित निकोटीन अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पाद** | | |
| | - | ज्वलन के बिना सूंघने के लिए आशयित उत्पाद | | |
| 2404 11 00 | - | जिसमें तम्बाकू या पुनर्रचित तम्बाकू अंतर्विष्ट है | कि.ग्रा. | 100% |
| 2404 12 00 | -- | अन्य, जिसमें निकोटीन अंतर्विष्ट है | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 19 00 | -- | अन्य | कि.ग्रा. | 100% |
| | - | अन्य : | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 91 00 | -- | मुख संबंधी उपयोग के लिए | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 92 00 | -- | त्वचा के माध्यम से उपयोग के लिए | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 99 00 | -- | अन्य | कि.ग्रा. | .... |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

1 जुलाई, 2017 को माल और सेवा कर (जीएसटी) की पुर:स्थापना करने के साथ, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 के अधीन सूचीबद्ध माल के सिवाय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 द्वारा निरसित किया गया था । इसमें तंबाकू और तंबाकू उत्पाद अंतर्वलित हैं। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी और प्रतिकर उपकर के उद्ग्रहण से, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में उल्लेखनीय रुप से कमी की गई थी ताकि उनके कर भार पर अधिक प्रभाव डाले बिना प्रतिकर उपकर के उद्ग्रहण के लिए अनुज्ञा दी जा सके ।

2. तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर उद्ग्रहीत प्रतिकर उपकर, जहां कहीं भी लागू हो, प्रतिकर उपकर लेखा के अधीन ब्याज के संदाय बाध्यताओं और ऋण दायित्वों के पूर्ण रुप से उन्मोचित हो जाने पर बंद कर दिया जाएगा । सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दर बढ़ाने हेतु राजवित्तीय अंतर प्रदान करने तथा कर भार से संरक्षण के लिए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुभाग 4 की सारणी में संशोधन करना अनिवार्य है ।

3. तद्नुसार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अनुभाग 4 में तंबाकू और तंबाकू उत्पाद की टैरिफ दरों को अंतर्विष्ट करने वाली सारणी को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद् में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 की पुर:स्थापना करने के लिए प्रस्थापित किया जाता है ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**निर्मला सीतारामन**

**नई दिल्ली;**
**28 नवंबर, 2025**

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित हो जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

## उपाबंध

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * *

### अध्याय4

### समुद्र से यातायात

### चौथी अनुसूची

**[धारा 2(घ) और धारा 2(च)(ii) निर्दिष्ट करें]**

* * * * *

### अनुभाग 4

**तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प ; उत्पाद, चाहे निकोटीन अंतर्विष्ट हो या नहीं, ज्वलन के बिना संूघने के लिए आशयित ; मानव शरीर में निकोटीन प्रवेश करने के लिए आशयित निकोटीन अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पाद**

* * * * *

### अनुपूरक टिप्पण

* * * * *

| टैरिफ मद | | माल का वर्णन | इकाई | शुल्क की दर |
|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 2401 | | **अविनिर्मित तम्बाकू ; तम्बाकू उच्छिष्ट** | | |
| 2401 10 | - | तम्बाकू, जो डंडी/शिरा सहित हैं : | | |
| 2401 10 10 | --- | धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 20 | --- | धू उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 30 | --- | धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 40 | --- | जौ तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 50 | --- | बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू, जिसमें डंडियां न हो | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 60 | --- | चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 70 | --- | सिगरेट और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 80 | --- | हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 10 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 | - | **तम्बाकू जो भागतः या संपूर्णतः डंडीयुक्त या झंगा हुआ :** | | |
| 2401 20 10 | --- | धूमताल उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 20 | --- | धूप उपचारित देसी (नाटू) तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |

| (1) | | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2401 20 30 | --- | धूप उपचारित वर्जीनिया तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 40 | --- | जौ तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 50 | --- | बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 60 | --- | चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 70 | --- | सिगरेट और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 80 | --- | हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 20 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 64% |
| 2401 30 00 | - | तम्बाकू उच्छिष्ट | कि.ग्रा. | 50% |
| 2402 | | **तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्प के सिगार, चुरूट, सिगरीला और सिगरेट:** | | |
| 2402 10 | - | तम्बाकू युक्त सिगार, चुरूट और सिगरिला : | | |
| 2402 10 10 | --- | सिगार और चुरूट | संख्या हजार में | 12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 10 20 | --- | सिगरीला | संख्या हजार में | 12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 20 | - | **तम्बाकू युक्त सिगरेट :** | | |
| 2402 20 10 | --- | 65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न | संख्या हजार में | 200 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 20 | --- | 65 मिलीमीटर से अधिक, किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न | संख्या हजार में | 250 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 30 | --- | 65 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अन्तर्गत फिल्टर की लम्बाई, 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | संख्या हजार में | 440 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 40 | --- | 65 मिलीमीटर से अधिक, किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | संख्या हजार में | 440 रुपए प्रति हजार |

| (1) | | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2402 20 50 | --- | 70 मिलीमीटर से अधिक, किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | संख्या हजार में | 545 रुपए प्रति हजार |
| 2402 20 90 | --- | अन्य | संख्या हजार में | 735 रुपए प्रति हजार |
| 2402 90 | - | अन्य : | | |
| 2402 90 10 | --- | तम्बाकू अनुकल्प की सिगरेट | संख्या हजार में | 600 रुपए प्रति हजार |
| 2402 90 20 | --- | तम्बाकू अनुकल्प की सिगरीला | संख्या हजार में | 12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 90 90 | --- | अन्य | संख्या हजार में | 12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2403 | | **अन्य विनिर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प ; "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू ; तम्बाकू निष्कर्ष और सत** | | |
| | - | धूम्रपान तंबाकू, चाहे उनमें से किसी भी अनुपात में तंबाकू अनुकल्प हैं या नहीं : | | |
| 2403 11 | -- | इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण में विनिर्दिष्ट जलयुक्त पाइप तंबाकू : | | |
| 2403 11 10 | --- | हुक्का और गुडाकू तम्बाकू | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 11 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 60% |
| 2403 19 | -- | अन्य : | | |
| 2403 19 10 | --- | पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी | कि.ग्रा. | 60% |
| | --- | बीड़ी : | | |
| 2403 19 21 | ---- | कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो | संख्या हजार में | 1.00 रुपए प्रति हजार |
| 2403 19 29 | ---- | अन्य | संख्या हजार में | 2.00 रुपए प्रति हजार |

| (1) | | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2403 19 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 25% |
| | - | अन्य : | | |
| 2403 91 00 | -- | "समांगीकृत"/"पुनर्रचित" तम्बाकू | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 | -- | अन्य : | | |
| 2403 99 10 | --- | चबाने वाला तंबाकू | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 20 | --- | चबाने वाले तंबाकू वाली विनिर्मितियां | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 30 | --- | जर्दा सुगंधित तंबाकू | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 40 | --- | नस्वार | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 50 | --- | नस्वार वाली निर्मितियां | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 60 | --- | तंबाकू निष्कर्ष और सत | कि.ग्रा. | 25% |
| 2403 99 70 | --- | कटा हुआ तंबाकू | कि.ग्रा. | 70 रुपए प्रति कि.ग्रा. |
| 2403 99 90 | --- | अन्य | कि.ग्रा. | 25% |
| 2404 | | **उत्पाद, जिनमें तम्बाकू, पुनर्रचित तम्बाकू, निकोटीन, या तम्बाकू या निकोटीन अनुकल्प अंतर्विष्ट हैं, जो ज्वलन के बिना सूंघने के लिए आशयित है ; मानव शरीर में निकोटीन प्रवेश करने के लिए आशयित निकोटीन अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पाद** | | |
| | - | ज्वलन के बिना सूंघने के लिए आशयित उत्पाद | | |
| 2404 11 00 | - | जिसमें तम्बाकू या पुनर्रचित तम्बाकू अंतर्विष्ट है | कि.ग्रा. | 81% |
| 2404 12 00 | -- | अन्य, जिसमें निकोटीन अंतर्विष्ट है | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 19 00 | -- | अन्य | कि.ग्रा. | 81% |
| | - | अन्य : | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 91 00 | -- | मुख संबंधी उपयोग के लिए | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 92 00 | -- | त्वचा के माध्यम से उपयोग के लिए | कि.ग्रा. | .... |
| 2404 99 00 | -- | अन्य | कि.ग्रा. | .... |

# केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 का शुद्धिपत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़ें |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2404 11 00 - जिसमें | 2404 11 00 -- जिसमें |